"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अगस्त 2009—श्रावण 12, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-27/2008/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम दोहत्रा को नगर पंचायत मारों, जिला दुर्ग की सीमा में सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, मारों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	नगर पंचायत मारों में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	दोहत्रा

अनुसूची-2

मारों नगर पंचायत की परिवर्तित सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम दोहत्रा एवं नगर पंचायत मारों की सीमाएं ही नगर पंचायत मारों की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर, दुर्ग को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 1st August 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-27/2008/18.—In exercise of powers conferred by Section 5 (a) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby signify their intention to include the Village in the Maro Nagar Panchayat in District -Durg as give in the following Schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Maro is as under :—

Sl. No. (1)	Proposed Village to be included in Nagar Panchayat Maro (2)
1.	Dohatra

SCHEDULE-2

The boundaries of the revised Nagar Panchayat Maro is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Maro shall be include the boundaries of existing revenue village Dohatra and Nagar Panchayat Maro.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, District-Durg, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.